

कार्यालय आदेश संख्या— 59/2025,

दिनांक: 22 अप्रैल, 2025.

पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र संख्या: 6334/U.H.C./Admin.B, दिनांकित 21 नवम्बर, 2023 के अनुपालन में इस कार्यालय के कार्यालय आदेश संख्या: 168/2023, दिनांकित: 22 नवम्बर, 2023 से अग्रिम आदेश तक जिला न्यायालय चम्पावत हेतु 'अभिगम्यता समिति' (Accessibility Committee) का गठन निम्नानुसार किया गया था:—

- 1—श्री अरुण वोहरा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत। (अध्यक्ष)
- 2— श्री हेमन्त सिंह, सिविल जज (सीनिसर डिविजन), चम्पावत। (सदस्य)
- 3—श्री दीपक जोशी, नामिका अधिवक्ता/सदस्य जिला बार संघ, चम्पावत। (सदस्य)
- 4—श्री प्रदीप जाशी, सिस्टम सहायक, जिला न्यायालय चम्पावत। (सदस्य)
- 5—अग्रिम आदेश तक रिक्त छोड़ा जाता है। (सदस्य)

उक्त गठित समिति के अध्यक्ष सहित एक सदस्य का स्थानान्तरण इस जजशिप से अन्यत्र जजशिप में हो जाने के कारण एवं उनके स्थान पर नये न्यायिक अधिकारीगण के कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप इस सम्बन्ध में पूर्व में स्थायी आदेश संख्या: 168/2023, दिनांकित: 22 नवम्बर, 2023 से गठित 'अभिगम्यता समिति' को भंग करते करते हुये जजशिप के अन्तर्गत एक नई 'अभिगम्यता समिति' का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है:—

- 1—सुश्री निहारिका मित्तल गुप्ता, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत। (अध्यक्षा)
- 2—सुश्री रश्मि गोयल, सिविल जज (सीनिसर डिविजन), चम्पावत। (सदस्या)
- 3—श्री दीपक जोशी, सदस्य जिला बार संघ, चम्पावत। (सदस्य)
- 4—श्री प्रदीप जाशी, सिस्टम सहायक, जिला न्यायालय चम्पावत। (सदस्य)
- 5—अग्रिम आदेश तक रिक्त छोड़ा जाता है। (सदस्य—दिव्यांगजन श्रेणी)

उक्तानुसार पुनर्गठित समिति को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure for Preparing Accessible Court Documents) के अनुसार न्यायालय में आने वाले प्रत्येक दिव्यांग अधिवक्ता, न्यायाधीश, वादकारी आदि जो अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण स्वयं को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने में अथवा वाद दाखिल करने में किसी भी

प्रकार की कठिनाई का सामना करते हों, उनकी न्यायालय तक यथासम्भव सुगम्य पहुँच को सुनिश्चित करेगी।

सिस्टम सहायक को आदेशित किया जाता है कि इस आदेश को जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

तदनुसार आदेश समस्त सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाये।

दिनांक: 22 अप्रैल, 2025.

(अनुज कुमार संगल)
जनपद न्यायाधीश,
चम्पावत।

कार्यालय: जनपद न्यायाधीश, चम्पावत

पत्रांक: 566/एक-20-2021, दिनांक: 22 अप्रैल, 2025।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित:-

1. महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल को सूचनार्थ।
2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत।
3. सिविल जज (सीनियर डिविजन), चम्पावत।
4. श्री दीपक जोशी, सदस्य जिला बार संघ, चम्पावत।
5. श्री प्रदीप जाशी, सिस्टम सहायक, जिला न्यायालय चम्पावत।
6. अध्यक्ष, जिला बार संघ, चम्पावत।
7. सम्बन्धित पत्रावली में अनुरक्षण हेतु।

आदेशानुसार अग्रसारित-

प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
जजशिप चम्पावत।